(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड–1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं0 52 / 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक: 30 नवम्बर, 2018

विषय:– विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र हेतु परिशिष्टों के परिशिष्ट 2ट में संशोधन–के संबंध में।

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–20 के परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2ट में (i) उद्‌गम का तरजीही प्रमाणपत्र (ii) ईयू–जीएसपी स्कीम के तहत प्रमाणन का पश्च सत्यापन जारी करने हेतु शुल्क के ब्यौरे को शामिल करते हैं–

1. विविध सेवाओं हेतु आवेदन शुल्क का परिमाण:–

क्र.सं.	विवरण	शुल्क का परिमाण (रुपए में)
14.	उद्‌गम का तरजीही प्रमाणपत्र जारी करना	छह सौ रुपए
15.	ईयू जीएसपी के तहत उद्‌गम के स्व प्रमाणित प्रमाणन का पश्च सत्यापन तथा अन्य एफटीए के तहत सत्यापन शुल्क	(i) एकल इकाई के सत्यापन हेतु सात हजार पांच सौ रुपए। (ii) बहुविध इकाईयों के प्रमाणन हेतु बारह हजार रुपए। एजेंसियां इकाई से अलग से सरकारी दरों के अनुसार टीए और डीए ले सकती हैं।

2. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** (i) उद्‌गम का तरजीही प्रमाणपत्र और (ii) ईयू–जीएसपी के तहत उद्‌गम के स्व प्रमाणित प्रमाणन का पश्च सत्यापन जारी करने के लिए शुल्क और अन्य एफटीए के तहत सत्यापन शुल्क निर्धारित किया गया है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल: dgft@nic.in

[फा० सं० 01/93/180/56/एएम–13/पीसी–2 (ख)/ई–2205 से जारी]